शांति बनाम जैनाराम वगैराह
प्रार्थना संख्या 51 / 2022
जीसीएमएस नम्बर 2022 / 224

प्रार्थीया की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 551 रकबा 6.5883 हैक्टेयर का नाप चोप करके उसकी खसरा नम्बर 533 रकबा 4.0064 हैक्टेयर के बीच की सिमाओं का निर्धारण करके पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि मौजा फरड़ोद खेत खसरा नम्बर 551 रकबा 6.5883 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 533 रकबा 4.0064 हैक्टेयर के बीच की सीमाओं का निर्धारण हेतु भू.अ.निरीक्षक फरडोद के नेतृत्व में तीन हलका पटवारियों के दल का गठन किया जाकर प्रभावित खातेदारान को सूचित करते हुये राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नाप–चौक कर दोनो खेताय के मध्य सीमा निर्धारण कर मुटाम कायम किये जावे तथा मुटाम अनुसार प्रार्थी को पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 10.1.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जिला नागौर (राज)

Scanned with CamScanner